भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 942

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

कोयले के आयात में कमी

942. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2024-25 तक पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में पर्याप्त योगदान देने की पर्याप्त क्षमता कोयला क्षेत्र में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशाल कोयला भंडार के बावजूद भारत अन्य देशों से बड़ी मात्रा में कोयले का आयात करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या 2025 तक देश के भीतर उपयोग के लिए आयात में भारी कमी लाने और कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लिया गया है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : 01-04-2022 की स्थिति के अनुसार, भारत के पास 177.18 बिलियन टन प्रमाणित कोयला भंडार था। चालू वर्ष 2022-23 के लिए कुल घरेलू कोयला उत्पादन का लक्ष्य 911 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। आर्थिक विकास के कारण कोयले की मांग में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, 2023-24 में घरेलू कोयले का उत्पादन 1017 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके 2024-25 में 9-10% तक और बढ़ने की संभावना है।

(ग) : देश में कोयले की लगभग 20-25% मांग आयात से पूरी की जाती है। कोयले के आयात में मुख्य रूप से कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के कोयले जैसे आवश्यक आयात शामिल हैं क्योंकि दुर्लभ भंडार या अनुपलब्धता के कारण उनका घरेलू उत्पादन सीमित है। विद्युत क्षेत्र भी

दो कारणों से कोयले का आयात करता है - तटीय क्षेत्र में स्थापित आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) विद्युत संयंत्रों के लिए डिजाइन आधारित आयात, जिन्हें विशेष रूप से आयातित कोयले का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत संयंत्रों के लिए सम्मिश्रण के उद्देश्य के लिए है। पिछले तीन वर्षों में कोयले के आयात का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	**कुल आपूर्ति/खपत**	**आयात**	**आयात का %**
2019-20	955.91	248.54	26.00
2020-21	906.33	215.25	23.74
2021-22	1027.92	208.93	20.33

(घ) : जैसा कि ऊपर पैरा-ग में उल्लेख किया गया है, कोयले के आयात में मुख्य रूप से घरेलू उत्पादन में कमी के कारण कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के कोयले जैसे आवश्यक आयात शामिल हैं। तथापि, कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर कोयले के प्रतिस्थापन योग्य आयात को बदलने के उपाय किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अन्य प्रमुख कदमों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, अंत्य उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बेचने के लिए कैप्टिव खानों को अनुमति देने हेतु खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन, एमडीओ मॉडल के माध्यम से उत्पादन, आधुनिक तकनीकों जैसे सरफेस माइनर, निरंतर माइनर आदि का अधिक उपयोग, नई परियोजनाएं आरंभ करना और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार, तथा निजी कंपनियों/ पीएसयू को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल है।

****